



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234895
CG-DL-E-06042022-234895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1536]
No. 1536]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 5, 2022/चैत्र 15, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 5, 2022/CHAITRA 15, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2022

का.आ. 1605(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान राज्य में नवप्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग संरेखण जो कि ग्राम पनियाला, जिला जयपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148-बी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के जंक्शन से प्रारंभ होकर ग्राम शीतल जिला अलवर में दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे (एनई-4) एवं राज्यमार्ग-14 के जंक्शन तक का निर्माण (चौड़ीकरण पेव्ड शोल्डर सहित 2 लेन बनाया जाना/4 लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ क्रमशः (5), (6), और (7), में क्रमशः उल्लिखित जिलों, तालुका और ग्रामों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूखण्ड से संबंध में इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ (2) उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में नवप्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग संरेखण जो कि ग्राम पनियाला, जिला जयपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148-बी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के जंक्शन से प्रारंभ होकर ग्राम शीतल जिला अलवर में दिल्ली-वडोदरा एक्सप्रेसवे (एनई-4) के राज्यमार्ग-14 के जंक्शन तक का निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	उपखंड अधिकारी, कोटपुतली	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Greenfield Highway के कि.मी. 0 से 3.05 तक	राजस्थान	जयपुर	कोटपूतली	1 कालूहेडा

[फा. सं. NHAI/PIU/Sohna/Paniyala-Alwar-Barodameo/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2022

S.O. 1605(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorises the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to districts, tehsil and villages mentioned in column (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening /two- laning with paved shoulders/ four-laning, etc.), maintenance, management and operation of new proposed national highway alignment from its junction with NH-148B & NH-48 at village Paniyala of District Jaipur for connecting to Delhi - Vadodara Expressway (NE-4) at SH-14 in village Sheetal District Alwar in the State of Rajasthan.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within new proposed national highway alignment from its junction with NH-148B & NH-48 at village Paniyala of District Jaipur for connecting to Delhi - Vadodara Expressway (NE-4) at SH-14 in village Sheetal District Alwar in the State of Rajasthan.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	SUB DIVISIONAL OFFICER, KOTPUTLI	0KM To 3.05KM	RAJASTHAN	JAIPUR	Kotputli	1 Kaluheda

[F. No. NHAI/PIU/Sohna/Paniyala-Alwar-Barodameo/2021]

RAJESH GUPTA, Director